रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15112022-240295
CG-DL-E-15112022-240295

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5092] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 15, 2022/कार्तिक 24, 1944
No. 5092] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 15, 2022/KARTIKA 24, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2022

का.आ. 5312(अ).—यतः, मै. नालंदा शेल्टर प्राईवेट लिमिटेड, ने महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के हिंजेवाड़ी गाँव में राजीव गाँधी इन्फोटेक पार्क के पास खसरा संख्या 129 (पी), 130 (पी), 131 (पी) में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (आईटी/ आईटीईएस) के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28)ए (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राजपत्र संख्याओं का.आ. 1216(अ) दिनांक 15 मार्च, 2016 एवं का.आ. 4451(अ) दिनांक 18 फ़रवरी, 2020 के तहत् उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में क्रमश: 3.4659 हेक्टेयर एवं 1.6596 हेक्टेयर के क्षेत्रों को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. नालंदा शेल्टर प्राईवेट लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 0.0655 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, महाराष्ट्र सरकार ने उनके पत्र सं. एसईजेड-2018/सीआर-270/इंड-2 दिनांक 05 अगस्त, 2022 के तहत प्रस्ताव को सहमति दे दी है;

और यतः, विकास आयुक्त, सीप्ज़् विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 0.0655 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है। इसके अलावा, अनधिसूचित भूमि का उपयोग आईटी/आईटीईएस व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जाएगा, भूमि का उपयोग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा जो मूल रूप से परिकल्पित एसईजेड के उद्देश्य को पूरा करेगा;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम,2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 0.0655 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 5.0600 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचित क्षेत्र के लिए निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वेक्षण संख्यायें और क्षेत्र शामिल है, अर्थात्:-

तालिका

क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्यायें	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	हिंजेवाड़ी	130/1	0.0655
कुल			0.0655
उपरोक्त घटाव के पश्चात एस ई जेड का कुल क्षेत्रफल			5.0600

[फा. सं. एफ.1/14/2017-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2022

S.O. 5312(E).—Whereas, M/s. Nalanda Shelter Pvt. Ltd., had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services (IT/ITES) at Survey No. 129 (P), 130 (P), 131 (P) Near Rajiv Gandhi Infotech Park, Hinjewadi, Phase-I, Pune, in the State of Maharashtra;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, notified 3.4659 hectares and 1.6596 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Numbers S.O. 1216(E) dated 14th March, 2018 and S.O. 4451(E) dated 09th December, 2019, respectively;

AND, WHEREAS, M/s. Nalanda Shelter Pvt. Ltd. has now proposed for de-notification of 0.0655 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Maharashtra has given its approval to the proposal vide letter No. SEZ-2018/CR-270/Ind-2 dated 05th August, 2022;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ has recommended the proposal for de-notification of an area of 0.0655 hectares of the Special Economic Zone. Further, after de-notification, the land will be utilized for IT/ITES business activities, the land will be utilized towards creation of infrastructure which would sub-serve the objective of SEZ as originally envisaged;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 0.0655 hectares, thereby making the resultant area as 5.0600 hectares. The Survey numbers and the areas for de-notification are given in the table, namely: -

TABLE

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Total area (in Hectares)
1.	Hinjewadi	130/1	0.0655
Total			0.0655
Grand Total Area of SEZ after above deletion			5.0600

[F. No. F.1/14/2017-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.11.15 22:20:20 +05'30'